54

II/निग०/रीवा/2018/0205

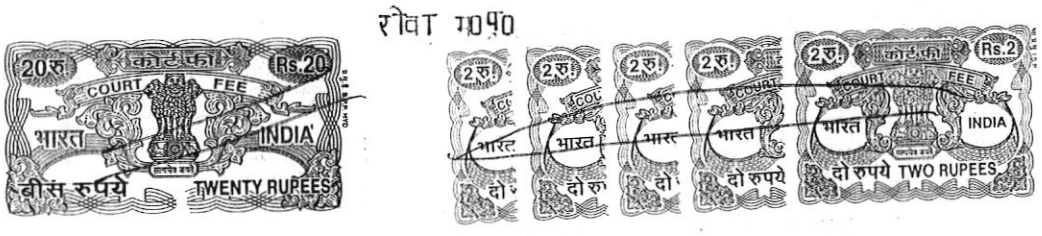

न्यायालय श्री मान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0 रु30/-

राजसेवक तनय जगन्नाथ कोटवार निवासी ग्राम बांसा थाना गोविन्दगढ़ तह0 हुजूर जिला रीवाम0प्र0 .... निगरानी कर्ता

विरुद्ध

श्रवण कुमार तनय बहादुर उर्फ रामसुनीन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम बांसा थाना व तहसील गोविन्दगढ़ जिला रीवाम0प्र0 ... गैर निगराकार

उपस्थि0श्री दिवाकरसिंह परिहार द्वारा पेश। 03-01-2018

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् नायब तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 के द्वारा प्रकरण क्रमांक 97ए70/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 4.9.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

1- यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधिएवं प्रक्रियाके विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्यहै ।

2- यह कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करने के पूर्व विधि मे बने प्रावधानो पर गंभीरता पूर्वक विचार न करते हुए मनमानी तौर पर उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्यो की उपेक्षा करते हुए प्रश्नाधीन आदेश पारित कियाहै, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल है, व स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

3- यह कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानी कर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन

क्र.. रामसेवक दाहिया

रामसेवक निगराकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2018 / 205

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्र0क0 97 अ 70 / 16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–9–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 4–9–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदक के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करके उसके स्वामितव की भूमि खसरा क्रमांक 997 / 2 रकबा 0.011 है. स्थित ग्राम बॉसा पर जबरन बाड़ी लगाकर व जोताई करके कब्जा करने के कारण निषेधित करने की मांग की है। नायव तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक ने व्यवहार प्रकिया आदेश 1 नियम 10 का आवेदन दिया था किन्तु आवेदक व्दारा तथ्यों के पुष्टिकरण में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 4–9–17 से आवेदक का आवेदन निरस्त किया है एंव हलका पटवारी से मौके की जांच कर नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत करने एंव अनावेदक को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पेशी नियत की है। स्पष्ट है कि आवेदक को तहसील न्यायालय में अनावेदक की साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षण करने का एंव स्वंय् की लेखी / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक तहसील न्यायालय में प्रकरण का	

त्वरित रूप से निराकरण न होने पावे, इसी उद्वेश्य यह निगरानी करके विलम्ब कराना चाहता है, जिसके कारण निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है। इस आदेश की एक प्रति नायव तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर को भेजी जावे, तदुपरांत प्रकरण नस्तीबद्व कर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य